राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–44/2025

बिरेन्द्र बैठा बनाम् रजनी कुमारी।

1 यह वाद श्री बिरेन्द्र बैठा, पिता–स्व0 मुन्नी लाल बैठा, पता–मोहल्ला–शान्ति नगर, थाना–पालीगंज, जिला–पटना, वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर पंचायत पालीगंज, पटना द्वारा श्रीमती रनजी कुमारी, पति–श्री मुकेश कुमार, पता–मोहल्ला–बाँस कोठी, क्रिश्चन कॉलोनी, दीघा, पोस्ट+थाना–दिघा, **जिला–पटना**, वर्तमान पता–मोहल्ला–निरखपर, पुरानी सरैया, पालीगंजी, पोस्ट+थाना–पालीगंज, **जिला–पटना**, वर्तमान उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत पालीगंज, पटना के विरुद्ध नगरपालिका की लगातार तीन बैठकों में बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1) (ढ़)–सह–पठित धारा–18 (2) के तहत उप मुख्य पार्षद के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2 वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम किशोर द्वारा वादी का पक्ष रखा गया तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा पक्ष रखा गया, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से श्रीमती पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, पटना को प्राधिकृत किया गया।

3 वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी वर्तमान में उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, पालीगंज है। प्रतिवादी नगरपालिका की तीन बैठकों क्रमशः दिनांक–30.05.2025, दिनांक–25.06.2025 एवं दिनांक–26.06.2025 को बिना किसी पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहे। अतः उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(n) के तहत अयोग्यता अर्जित कर ली गई है।

अपने दावें समर्थन में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–30.05.2025 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक के लिए पत्रांक–361, दिनांक–28.05.2025 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसे उनके परिवार की सदस्या श्रीमती चंदा देवी द्वारा दिनांक–29.05.2025 को प्राप्त किया गया। अपने वाद–पत्र में संलग्न नोटिस एवं तामिला प्रतिवेदन तथा दिनांक–30.05.2025 के कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन उनके द्वारा आयोग को कराया गया, जिसमें प्रतिवादी अनुपस्थित थी।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–25.06.2025 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक के लिए पत्रांक–413, दिनांक–20.06.2025 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसे उनके द्वारा स्वयं दिनांक–20.06.2025 को प्राप्त किया गया। अपने वाद–पत्र में संलग्न नोटिस एवं तामिला प्रतिवेदन तथा दिनांक–25.06.2025 के कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन उनके द्वारा आयोग को कराया गया, जिसमें प्रतिवादी अनुपस्थित थी।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–26.06.2025 को सामान्य बोर्ड की बैठक के लिए पत्रांक–414, दिनांक–21.06.2025 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया,

जिसे उनके द्वारा स्वयं दिनांक–23.06.2025 को प्राप्त किया गया। अपने वाद–पत्र में संलग्न नोटिस एवं तामिला प्रतिवेदन तथा दिनांक–26.06.2025 के कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन उनके द्वारा आयोग को कराया गया, जिसमें प्रतिवादी अनुपस्थित थी।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त तीनों लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने हेतु इनके द्वारा मुख्य पार्षद/नगरपालिका से किसी प्रकार की कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी और न ही उनके द्वारा इस संबंध में कोई सूचना दी गई थी। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(n) के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए, पद से हटाया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि यह वाद बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(द) के तहत Maintainable नहीं है। उनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–18(1)(द) का वाचन किया गया, जो निम्नवत् हैः–

"Has been absent from three consecutive meetings or sitting of the Municipality without having previously obtained permission from the councillors at a meeting."

आगे उनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–2(66) का वाचन किया गया, जो निम्नवत् हैः–

"Municipality" means an institution of Self-Government constituted under Section 12, read with Article 243Q of the Constitution of India, and includes a Municipal Corporation, a Municipal Council, and a Nagar Panchayat, referred to in Section 13"

उक्त प्रावधानों के आलोक में उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि सशक्त स्थायी समिति Body within Municipality है, न कि Municipality है। उनके द्वारा यह तर्क गया कि सामान्य बोर्ड ही अधिनियम की धारा–12 के तहत Municipality का प्रतिनिधित्व करता है। अतः धारा–18(1)(n) के प्रावधान सामान्य बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर ही लागू होता है। अतएव यह वाद धारा–18 के अधीन Maintainable नहीं है।

आगे उनके द्वारा वाद के Merit पर प्रकाश डालते हुए, यह तर्क दिया गया कि यदि कुछ समय के लिए यह मान भी लिया जाए कि उक्त सभी बैठकें नगरपालिका की लगातार तीन बैठके हैं, तब भी उन्हें नोटिस का तामिला बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों के तहत नहीं कराया गया है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि दिनांक–30.05.2025 की बैठक हेतु उन्हें दो दिन पूर्व नोटिस का तामिला कराया गया, जो कि वर्णित नियम के विरूद्ध है, क्योंकि बिहार नगरपालिक सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली–2010 के नियम–07 के अनुसार नोटिस निर्धारित बैठक के कम से कम चार दिन पूर्व निर्गत होना चाहिए। इस प्रकार वैधानिक प्रावधानों के तहत नोटिस निर्गत नहीं किया गया था। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में किसी सदस्य के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–25.06.2025 की बैठक में वह उपस्थित थी, परन्तु वह मुख्य पार्षद के अवैध प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थी,

जिसके कारण उन्हें उस बैठक की कार्यवाही पंजी में अनुपस्थित दिखाया गया है। उनके द्वारा उक्त तिथि के बैठक के **'विडियोग्राफी फुटेज'** से तैयार कराये गये, एक **'फोटोग्राफ'** का अवलोकन आयोग को कराया गया तथा अनुरोध किया गया कि उक्त तिथि की **'विडियोग्राफी'** आयोग द्वारा देखी जा सकती है।

उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया कि वादी मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, पालीगंज है तथा वह चाहते है कि उनकी मुवक्किल उनके प्रत्येक गलत प्रस्तावों का समर्थन करें। अतः वह दुर्व्यवहार, या अन्य तरीके से उनके मुवक्किल की विरोध को दबाना चाहते है। इस संबंध में उनके द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को लिखित शिकायत भी दी गयी थी, परन्तु दुखद स्थिति यह है कि आजतक उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा आयोग में वाद संख्या–24/2025 दायर किया गया है, जिसके कारण उन्हें डराने तथा दबाव में लाने के उद्देश्य से यह वाद दायर किया गया। अंत में उनके द्वारा वादी के बुरे मंसा से वाद दायर करने पर अर्थदण्ड के साथ वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के उक्त तर्कों का खण्डन किया गया तथा इस तथ्य पर बल दिया कि सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका का अभिन्न अंग है। उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–22 का वाचन किया गया तथा इस तथ्य पर बल दिया गया कि उक्त धारा–22 से स्पष्ट है कि सशक्त स्थायी समिति मंत्री परिषद् के सदृश्य है। साथ ही उनके द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(n) सामान्य बोर्ड की बैठक अथवा सशक्त स्थायी समिति की बैठक में विभेद नहीं करता। प्रतिवादी सामान्य बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति की सदस्या है। अतः उनके लिए दोनों बैठकों में उपस्थित रहना वैधानिक बाध्यता है। अतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका नहीं है।

आगे उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि नियम–7 चार दिन पूर्व नोटिस निर्गत करने की बाध्यता प्रदान करता है न कि चार दिन पूर्व तामिला को सुनिश्चित कराता है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा नोटिस को प्राप्त किया गया, परन्तु जान–बुझकर उपस्थित नहीं हुई। उनके द्वारा बचाव के लिए यह झूठी कहानी बनायी जा रही है। बैठक में कोई भी प्रस्ताव बहुमत से पारित होता है। अतः बैठक में उपस्थित होने या प्रस्ताव पर जबरदस्ती अनुमोदन कराने के साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दिया गया। बैठक में उपस्थित होकर उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर नहीं करना, उनका स्वयं का निर्णय है।

5. जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका), पटना द्वारा पत्रांक–122/निर्वा0, दिनांक–12.01.2026 के माध्यम से सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–

क्र0	नगर पं0, पालीगंज के पत्रांक/दिनांक	बैठक की तिथि/समय	संबंधित बैठक	निर्गत पत्र प्राप्ति की तिथि	बैठक में उपस्थित/अनुपस्थित
1	2	3	4	5	6
01.	361/28.05.2025	30.05.2025/ 12:30 बजे	सशक्त स्थायी समिति की बैठक	चन्दा देवी/29.05.2025	अनुपस्थित।
02.	413/20.06.2025	25.06.2025/ 12:30 बजे	सशक्त स्थायी समिति की बैठक	रजनी कुमारी/23.06.2025	अनुपस्थित।
03.	414/20.06.2025	26.06.2025/ 12:30 बजे	सामान्य बोर्ड की बैठक	रजनी कुमारी/23.06.2025	अनुपस्थित।

वादी एवं प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों, अधिवक्ता द्वय के तर्कों तथा जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच/सत्यापन प्रतिवेदनों का परीक्षण किया गया । आयोग का इनके संबंध में मत/निर्णय निम्नवत है:–

आयोग द्वारा सर्वप्रथम इस तथ्य का परीक्षण किया गया कि क्या प्रतिवादी के दावें के आधार पर सशक्त स्थायी समिति की बैठकों को नगरपालिका की बैठक मानी जाए अथवा नहीं ?

उक्त प्रश्न का उत्तर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 17721/2015 (रूप नारायण बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) तथा L.P.A. No. 2294/2015 (अमरावती देवी बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) मामले में पारित न्याय–निर्णयों में प्राप्त होता है। माननीय न्यायालय द्वारा सशक्त स्थायी समिति के बैठकों को भी नगरपालिका की बैठक माना गया है। इस प्रकार उक्त न्याय–निर्णयों से यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के लिए क्रमागत बैठक की गणना में सामान्य बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठकों के क्रम को संज्ञान में लिया जायेगा, क्योंकि उक्त सभी सामान्य बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति दोनों के सदस्य होते है। ऐसे सदस्य जो सशक्त स्थायी समिति के सदस्य न हो, उनके लिए क्रम की गणना में केवल सामान्य बोर्ड की बैठकों के क्रम का संज्ञान लिया जायेगा।

उक्त वर्णित स्थिति में प्रतिवादी के Maintainability संबंधी आपत्ति एवं तर्क को खारिज किया जाता है।

आयोग द्वारा वाद के द्वितीय पक्ष अर्थात् वाद के Merit पर विचार किया गया, तो निम्नलिखित तथ्य प्रमुखता से प्रकट हुए:–

आयोग द्वारा यह पाया गया कि वादी के दावें के अनुसार प्रथम बैठक दिनांक–30.05.2025 को आहूत की गयी। उक्त बैठक सशक्त स्थायी समिति की बैठक थी, जिसका नोटिस/सूचना पत्रांक–361, दिनांक–28.05.2025 द्वार निर्गत किया गया, जिसका तामिला दिनांक–29.05.2025 को किया गया है।

उक्त तिथियों पर दोनों पक्ष एकमत है तथा सत्यापन प्रतिवेदन भी बैठक की तिथि, नोटिस निर्गत की तिथि एवं तामिला पर एकमत है।

आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली–2010 के नियम–07 पर विचार किया गया, जो निम्नवत् है:–

"7. अध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी द्वारा बैठक के लिए सूचना कम–से–कम चार दिन पूर्व निर्गत किया जायेगा, लेकिन आपातिक बैठक के लिए बैठक से कम–से–कम अड़तालिस घंटे पूर्व सूचना निर्गत कर सकेगा। कार्यवृत की सूची जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित के साथ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को चौबीस घंटे पहले भेज देगा। सिवाय बैठक में उपस्थित बहुमत सदस्यों की सहमति के सूची में सम्मिलित विषयों के अतिरिक्त विषय पर बैठक में विचार नहीं होगा।"

उक्त वैधानिक प्रावधान से स्पष्ट है कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर सशक्त स्थायी समिति की बैठक की तिथि एवं सूचना हेतु नोटिस निर्गत होने की तिथि के मध्य कम–से–कम चार दिनों का अन्तर अपरिहार्य है।

विचाराधीन मामले में बैठक की तिथि (दिनांक–30.5.2025) एवं नोटिस निर्गत होने की तिथि–28.05.2025 के मध्य मात्र दो दिनों का अन्तर है, जबकि निर्गत नोटिस के अनुसार दिनांक–30.05.2025 का बैठक आपातकालीन बैठक भी नहीं है।

उक्त वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वादी के दावें के अनुसार प्रथम बैठक दिनांक–30.05.2025 वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया है। अतः उक्त बैठक में अनुपस्थिति हेतु प्रतिवादी को दोषी/उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं है। अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(n) के तहत प्रतिवादी को अयोग्य/निरर्हित घोषित करने के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

(ख) श्री सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक, नगर पंचायत, पालीगंज द्वारा बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली–2010 के नियम–07 के नियमों के विरूद्ध नोटिस निर्गत करने हेतु प्रथम दृष्ट्या दोषी है, क्योंकि नगर पंचायत, पालीगंज के पदेन सचिव के रूप में उनका प्राथमिक दायित्व है कि नगर पंचायत, पालीगंज का प्रत्येक बैठक वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आहूत हो। यदि मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद द्वारा नियमों के विरूद्ध नोटिस निर्गत किया/कराया जाता है, तो इसकी सूचना प्रशासी विभाग को अविलम्ब प्रेषित की जानी चाहिए। अतएव श्री सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक, नगर पंचायत, पालीगंज से उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना को दिया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–44/2025 पटना, दिनांक–....................

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–44/2025 1556 पटना, दिनांक–15.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना**/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, **पटना** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

15/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी